शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

# राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/कक्षा 5 व 8/2023–24/518 भोपाल, दिनाँक : 29.1.24

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय :– प्राथमिक (कक्षा–5) व पूर्व माध्यमिक (कक्षा–8) वार्षिक परीक्षा सत्र 2023–24 के आयोजन संबंधी निर्देशिका में आंशिक संशोधन विषयक।

संदर्भ :– राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/2023–24/311 भोपाल दिनांक 17.01.2024

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र की कंड़िका– 3 'परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा' में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है–

| चरण | गतिविधि | उत्तरदायी अधिकारी | समय–सीमा |
|---|---|---|---|
| 3.1 | **छात्र पंजीयन** एवं **सत्यापन**– (कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाए)<br>**3.1.1** शाला के यू–डाईस अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना।<br>**3.1.2** परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5 हेतु रू. 50 प्रतिछात्र एवं कक्षा 8 हेतु रू. 100 प्रतिछात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। (नोट– परीक्षा शुल्क की राशि छात्रों से नहीं ली जाना है।)<br>**3.1.3** पंजीयन के दौरान परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली छात्र की प्रोफाईल संबंधी जानकारी यथा छात्र का नाम, समग्र आई.डी., जन्मतिथि, जेंडर, *श्रेणी (SC,ST,OBC,GEN etc), माता–पिता का नाम, मोबाईल नंबर, शाला का नाम, माध्यम, कक्षा, CWSN Category, आदि का ध्यानपूर्वक मिलान कर सत्यापन किया जाए। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। *श्रेणी संबंधी जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो सकेगा। | संबंधित शाला प्रभारी | 26 जनवरी से 04 फरवरी 2024 तक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **3.1.4** छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरी जाए।<br>**3.1.5**. अशासकीय शालाओं द्वारा भाषा के प्रश्नपत्र हेतु NCERT/SCERT विकल्प चयन सावधानीपूर्वक किया जाए।<br>**3.1.6** सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को "अनमैप" कराना।<br>**3.1.7** यदि कोई ऐसा छात्र शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना।<br>**3.1.8** जिन छात्रों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है उनका पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना।<br>(नोट– परीक्षा हेतु पात्र कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहे।) | संबंधित शाला प्रभारी | 04 फरवरी 2024 तक |
| 3.2 | **अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि**– परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात अर्द्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना। शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। | संबंधित शाला प्रभारी | 04 फरवरी 2024 तक |
| 3.3 | **3.3.1 परीक्षा केन्द्र निर्धारण**– बी.आर.सी.सी. के लॉगईन पर उपलब्ध कराई गई सुविधा अनुसार उनके द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र (शाला) को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केन्द्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कण्डिका 5 में वर्णित दिशा–निर्देशों अनुसार परीक्षा केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे।<br>**3.3.2** प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर अधिकतम तीन परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केन्द्र के चिन्हांकन के समय ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केन्द्र को सूचित करते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति से परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।<br>**3.3.3** अशासकीय शालाओं एवं मदरसों को भी परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा।<br>**3.3.4** परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों को समीपस्थ स्थित अन्य परीक्षा केन्द्र से मैप किया जाए। | विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) | 04 फरवरी 2024 तक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **3.3.5** प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए।<br>**3.3.6** शाला मैंपिंग– बी.आर.सी.सी. प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केन्द्र के साथ शालाओं को मैप/आवंटित करेंगे। | विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) | 04 फरवरी 2024 तक |
| 3.4 | बी.आर.सी.सी. द्वारा उपरोक्तानुसार चिन्हित परीक्षा केन्द्र, परीक्षा केन्द्राध्यक्ष तथा परीक्षा केन्द्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। | जिला शिक्षा अधिकारी | 08 फरवरी 2024 तक |
| 3.5 | जन शिक्षा केन्द्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अनंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। | जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी | 08 फरवरी 2024 तक |
| 3.6 | संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अनंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार परीक्षा पोर्टल (rskmp.in) पर करना। | शाला प्रभारी | 10 फरवरी 2024 तक |
| 3.7 | शाला में दर्ज समस्त परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों का मिलान उपरांत त्रुटियों के संशोधन संबंधी प्रमाणपत्र ऑनलाईन सबमिट करना एवं कक्षावार दर्ज परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किए जाने की पुष्टि करना। | शाला प्रभारी | 12 फरवरी 2024 तक |
| 3.8 | परीक्षार्थियों के त्रुटिरहित अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। | जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी | 15 फरवरी 2024 तक |
| 3.9 | संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थीवार वितरण करना। | शाला प्रभारी | 17 फरवरी 2024 तक |
| 3.10 | परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर प्रिंट आउट संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना। | जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी | 01 मार्च 2024 तक |
| 3.11 | उपस्थिति पत्रक के आधार पर परीक्षा केन्द्रों में बैठक व्यवस्था की योजना को अंतिम रूप देना। | परीक्षा केन्द्राध्यक्ष | 02 मार्च 2024 तक |
| 3.12 | प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केन्द्र में भौतिक रूप से जमा कराना। | परीक्षा केन्द्राध्यक्ष | परीक्षा दिवस |
| 3.13 | परीक्षा केन्द्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना। | जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी | परीक्षा दिवस |
| 3.14 | कण्डिका (10) में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केन्द्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी नियुक्त किया जाना। | जिला शिक्षा अधिकारी | 17 फरवरी 2024 तक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.15 | परीक्षा केन्द्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए उपस्थिति पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केन्द्र में जमा कराना। | जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी | 14 से 15 मार्च 2024 तक |
| 3.16 | **<u>प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन)</u>**–<br>• कण्डिका (4.5, 4.6, व 4.7) में वर्णितानुसार उपलब्ध कराई गयी कक्षावार, विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई दो प्रोजेक्ट शिक्षक/पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किये जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा।<br>• प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना।<br>• जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की शाला प्रभारी द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की गई प्रविष्टि की जाँच/पुष्टि करना । | शाला प्रभारी<br><br>शाला प्रभारी<br><br>जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी | 04 फरवरी 2024 तक<br><br>04 फरवरी 2024 तक<br><br>06 फरवरी 2024 तक |
| 3.17 | **<u>उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन</u>** –<br>• अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी को सौंपना।<br>• परीक्षा पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिदिन विषयवार उत्तरपुस्तिकाओं का आवंटन।<br>• प्रतिदिन मूल्यांकन उपरांत स्वयं के मोबाईल से अपनी लॉगइन आई.डी. से छात्रवार, प्रश्नवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर करना एवं पोर्टल से जनरेट सारांश पत्रक व प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपना।<br>• प्रतिदिन मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के 5 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं का रेण्डम आधार पर पुनः मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन से संतुष्टि उपरांत मूल्यांकनकर्ता द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए अंकों को लॉक करना। | जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी एवं बीआरसीसी<br><br>मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी एवं मुख्य परीक्षक<br><br>मूल्यांकनकर्ता<br><br>मुख्य परीक्षक | 14–15 मार्च 2024 तक<br><br>16 से 28 मार्च 2024 तक |

संदर्भित पत्रानुसार जारी किए गए शेष निर्देश यथावत् रहेंगे।

(धनराजू एस)
संचालक
राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल

निरंतर

पृ. क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/कक्षा 5 व 8/2023–24/519 भोपाल, दिनाँक : 29.1.24

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. सचिव, मदरसा बोर्ड, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
8. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
10. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्यप्रदेश।
11. जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्यप्रदेश।
12. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
13. समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उ. मा. वि. मध्यप्रदेश।
14. बी.आर.सी.सी. समस्त विकासखण्ड मध्यप्रदेश।
15. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, मध्यप्रदेश।

29/01/2024

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल